इसीलिए यह स्टैण्डर्ड ड्रिल है, अगर इस स्टैण्डर्ड ड्रिल को टेलीविजन न दिखाता तो अच्छा होता। लेकिन हम उन्हें नियंत्रित करे या निर्देश दें इसकी बजाय अच्छा यह होगा कि वे स्वयं ही इस मामले में अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखें। आपका जो सुझाव है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in this context, I am reminded of what happened during the incident in Bangladesh, how bodies of Indians were shown-hanging their bodies on to poles with their hands and feet tied-and that was a traumatic experience for all of us. Mr. Minister, you mentioned the guidelines of the Press Council of India. Unfortunately, the Press Council of India has no teeth. The question I have for the hon. Minister is, in order to ensure that the guidelines are followed, would this Government consider giving more teeth to the Press Council of India so that, in fact, it can enforce those guidelines?

SHRI L.K. ADVANI: Frankly, guidelines by the Press Council of India or by any other organisation relating to the media are not intended to be a legal kind of a thing, and it has to be followed by the press and the media on their own. But, if the Press Council of India itself makes some recommendations of the kind you are saying.....

SHRI KAPIL SIBAL: They have demanded it publicly ....(*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI: That is not in this context. I know the kind of teeth they are demanding. (*Interruptions*) I myself have been a Member of the Press Council of India and I have been a Member of the press itself. Therefore, I am aware of these issues. All that I can say is that this Government is fully committed to the freedom of the press, but, at the same time, the Constitution itself provides that there must be reasonable restrictions. If, within that framework of reasonable restrictions, any such proposal comes to us, we would consider.

Elections to General House of SGPC

*309. SARDAR GURCHARAN SINGH 'TOHRA':†
SHRI SUKHDEV SINGH 'LIBRA':

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the elections to General House of Shiromani Gurdwara Prabhandhak Committee (SGPC) are due;

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Gurcharan Singh 'Tohra'.

(b) if so, the reasons for its delay;

(c) whether the Commission responsible to hold elections have completed all formalities, if not, the reasons therefore; and

(d) by when these elections are likely to be held?

THE DEPUTY PRIME MINISTER, INCHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. The delay in this regard has been on account of the consideration of certain amendments in the Sikh Gurdwaras Act, 1925 proposed by the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee and extension of the time for registration of voters.

(c) and (d) The Chief Commissioner, Gurdwara Election, Chandigarh, has notified time for registration of voters till 28.2.2003 and elections are expected to be held thereafter.

सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा: सभापति जी, मेरे सवाल के जवाब् में गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया है, मैं उसके पहले हिस्से के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल इलेक्शन 13 अक्तूबर, 2001 से पहले मुकम्मल होने चाहिए थे और इसीलिए अप्रैल, 2001 में नई वोटें दर्ज करवाने के लिए समय दिया गया था? यह समय बढ़ता गया और उस समय के बाद भी 2002 में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन के लिए उस वक्त के जो चीफ कमिश्नर थे उन्होंने ऐलान किया था कि नई वोटें मुकम्मल हो गई हैं अत: मैं दुबारा इलेक्शन कराने के लिए पंद्रह दिन का नोटिस चाहता हूँ गृह मंत्रालय से, लेकिन उस कमिश्नर को ही बदल दिया गया एक और कमिश्नर लगा दिया गया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस हरबंस सिंह को हटाकर, रिटायर्ड जज अजायब सिंह सेखों को किसी खास वजह से लगा दिया गया। उसके बाद उसने ऐलान किया कि एक महीना और वोटें बनेंगी। लेकिन हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि आप चीफ कमिश्नर नहीं बन सकते। दो जगह आप हैं। एक जगह रहना पड़ेगा। दूसरी जगह मनुखी अधिकार के कमीशन को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर ऐलान किया कि नवम्बर तक, दो महीने और वोट बनेंगे। अब उन्होंने ऐलान किया कि फरवरी 2003 तक वोट बनेंगे। पार्लियामेंट के वोट दो महीने में बनते हैं, असेम्बली के दो महीने में बनते हैं। हमारा हमेशा यह ऐतराज रहा है कि कोई भी सरकार गुरुद्वारे के इलेक्शन समय से नहीं करवाती है। अब भी यही ऐतराज है। वोट बनने के लिए, एसजीपीसी के वोट जो महदूद हैं उनके लिए इतना समय क्यों लगा क्या गृह मंत्री जी यह बताएंगे तथा कितने और समय में गुरुद्वारे के इलेक्शन होंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कुछ संशोधन करने के प्रस्ताव आए थे ...(**व्यवधान**)

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: यह दूसरा सवाल है। यह मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछूंगा। पहले हिस्से का जवाब यह है कि वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए और वोट रजिस्ट्रेशन की कहानी मैंने बता दी कि दो साल से वोट रजिस्टर हो रहे हैं। दूसरा हिस्सा पूछूंगा फिर यह बता दें। पहले यह बताऐं कि दो महीने ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: वे बता रहे हैं सरदार जी।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: मैंने दो बातें पूछी हैं एक कमीशन ...(**व्यवधान**) पहली बात मैंने पूछी है कि कमिश्नर रिटायर हुए ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: वे सब बता देंगे जो आपने कहा है ...(**व्यवधान**)

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: हरबन्स सिंह 15 मई को एनाउंस करते हैं कि गुरुद्वारे के इलेक्शन करवाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। गृह मंत्रालय का नोटिस आने के बाद ...(**व्यवधान**) फिर पकड़ा गया ...

श्री सभापति: सरदार साहब आप जवाब सुनें उसके बाद ...(**व्यवधान**) दूसरा सप्लीमेंट्री करिएगा।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: फिर उसके बाद टाइम टु टाइम चलता रहा है। यह बात बताएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य की बात सही है कि इस मामले में बहुत मतभेद रहे हैं और वे मतभेद ध्यान में रखकर ही सरकार को निर्णय करना पड़ता है। मामले कोर्ट में भी गए हैं और वे कोर्ट के सामने भी पेंडिंग हैं। हमने यह भी कोशिश की कि एक मत बन सके। इन सारी बातों पर नहीं बन सका। लेकिन इसी कारण इलेक्टोरल रोल्स कंप्लीट नहीं हो सके और इसी लिए चुनाव नहीं हो सके। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों और सहमति होकर ही अमेंडमेंट्स हो जाएं। यह मैं चाहूंगा। लेकिन अभी तक सहमति नहीं हो पाई है। एक बड़ी मीटिंग बुलायी थी जिसमें पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के सब लोग बैठे थे। लेकिन सहमति नहीं बन पायी। इसीलिए यह देर हुई है। मुझे इस बात का खेद है कि चुनाव करवाने में विलम्ब हुआ है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: दूसरा सप्लीमेंट्री मेरा यह है कि क्या-क्या संशोधन हैं? क्योंकि बीते में, पहले भी एक दफा स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू और मास्टर तारा सिंह में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। उस समझौते में यह बात लिखी गयी थी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक

कमेटी के टू थर्ड मेजारिटी मेम्बर जो अमेंडमेंट भेजेंगे सरकार इन्हें मंजूर करेगी। अपने आप कोई दखल नहीं देगी। अब आडवाणी जी कह रहे हैं कि भेजे हैं।

दूसरी बात यह है कि शिरोमणि कमेटी का एक डेलीगेशन मिला था। शिरोमणि कमेटी तीन साल से लगातार जनरल हाउस में सर्वसम्मति से एक अमेंडमेंट पास करती आ रही है, भारत सरकार को भेज रही है लेकिन भारत सरकार वह अमेंडमेंट मानने के बजाए, जब डेलीगेशन आया, तीन मुख्य मंत्री बुलाए गए ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: संक्षेप में मेरी बात हो नहीं सकती। तीन मुख्य मंत्री बुलाए गए, जो तीनों स्टेटों के थे, एक पंजाब का, एक हरियाणा और एक हिमाचल का। क्या मुख्य मंत्री फैसला करेंगे गुरुद्वारा एक्ट में कौन सा अमेंडमेंट हो? जब फैसला शिरोमणि कमेटी ने किया है, भारत सरकार को उसी रूप में वह स्वीकार करना चाहिए था। क्या स्वीकार करेंगे या नहीं, या फिर ऐसे ही लटकाते जायेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हम तो उसको स्वीकार करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री कोई नया आया है और क्योंकि शायद उनके हमारे साथ विचार नहीं मिलते इसीलिए मैं उपेक्षा करूं तो यह ठीक नहीं होगा।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: मुख्य मंत्री धर्म निरपेक्ष विधान की ओथ लेता है और उनको किसी धार्मिक मामलात में दखल देने का हक नहीं। अब गुरुद्वारे का वोटर कौन बने, यह मुख्य मंत्री फैसला करेंगे या सिख फैसला करेंगे, सिख जत्थेबंदीयां फैसला करेंगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: फैसला सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही करेगी, लेकिन जब मैं यहां पर बैठा हूं तो कोई यह न कहे कि क्योंकि यह किस पार्टी का है, निर्णय होम मिनिस्ट्री को करना है, इसीलिए वह मुख्य मंत्री की उपेक्षा करता है। इसीलिए हम मुख्य मंत्री से भी सलाह करके ....(**व्यवधान**)

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा: शिरोमणि कमेटी के पास किए हुए रेज़ोल्यूशन के खिलाफ तीनों मुख्य मंत्री बोलते रहे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं-नहीं, मैं उसका पूरा आदर करूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि साधारणत: उनको माना जाएगा, दो मत भी कभी-कभी होते हैं विदिन द गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, सब बातों का विचार करके ही करेंगे, लेकिन हम किसी की उपेक्षा नही करेंगे, मुख्य मंत्री की भी उपेक्षा नहीं करेंगे।

श्री सुखदेव सिंह लिब्रा: चेयरमैन साहब, यह दुख बहुत लंबा है, सारी बात बताने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि क्या होम मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि सीमा कब तक खत्म हो जाएगी और इलैक्शन कब होंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अभी तक, मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी, 2003 तक ये सारे इलैक्टोरल रोल पूरे हो जायेंगे।

श्री सुखदेव सिंह लिब्रा: इलैक्शन का पूछा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इलैक्शन हो जायेंगे।

श्रीमती गुरचरण कौर: माननीय सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जब चुनाव होंगे तो हम लोग जो सिख परिवारों से संबंधित हैं, लेकिन सहजधारी सिख हैं, क्या उन लोगों को मत देने का अधिकार होगा या नहीं होगा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह भी एक सिफारिश है जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एसजीपीसी एक्ट जो 1925 से चला आ रहा है और वह एक्ट खास करके लागू होता है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, इन इलाकों में और कुछ हिस्से काश्मीर के जो इसके तहत लागू होते हैं और उसके तहत गुरुद्वारे चलते हैं ....(**व्यवधान**) कश्मीर में नहीं है, हिमाचल और हरियाणा में है, पर उसके साथ-साथ सदन के सामने एक आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट का भी बिल पड़ा हुआ है, जिस पर बहुत चर्चा चल रही है। जो लोग पंजाब से बाहर रहते हैं अर्थात् अविभाजित पंजाब से बाहर रहते हैं, अर्थात् हिमाचल, हरियाणा से भी बाहर रहते हैं, वैसे सिखों का और खास करके दो तख्त पंजाब से बाहर हैं, एक सच खंड हजूर साहब, नांदेड़ और दूसरा पटना साहिब ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: अहलुवालिया जी, प्रश्न कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा है।...(**व्यवधान**)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जो आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप क्वश्चन करिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: तो उनकी बातें भी सुनी जाएं, कोई फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुनी जाए।

श्री सभापति: ठीक है।

सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा: यह और डिले के लिए कर रहे हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: डिले नहीं कर रहा हूं, सुचारु रूप से करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी बात भी सुनी जाए।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। ...(**व्यवधान**)

Modernisation of NSG

*310. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the sanctioned strength of National Security Guards (NSG) and the number of vacant posts as on 1st July, 2002; and

(b) what steps have been taken to modernise the force, increase its sanctioned strength and fill up the vacant posts, in view of the increased role of the NSG in the present context?

THE DEPUTY PRIME MINISTER, INCHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

NSG was raised as a contingency deployment force to deal with terrorist activities in various states and anti-hijacking operations. The force is trained and equipped to meet these challenges.

NSG is a 100% deputationist force drawing personnel from the Army, Central Para Military Forces (CPMFs) and other Police Organisations. The sanctioned strength of NSG is 7330 personnel. There were 1202 vacant posts as on 1st July, 2002. The Army, CPMFs and other Police Organisations have been advised to sponsor adequate number of personnel to fill up the vacant posts. The recent enhancement of NSG allowance is expected to reduce the level of vacancies.

A modernisation plan entailing total expenditure of Rs. 82.49 crores over a period of 5 years commencing from the year 2002-03 has been approved for NSG. Out of this, Rs. 14.83 crores have been sanctioned during the current financial year.

No change in the role of NSG or increase in its sanctioned strength is contemplated at present.